न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 105/2020

प्रार्थीगण

1. देवाराम पुत्र भैराराम जाति साटीया निवासी सांवरडा
2. चतराराम पुत्र भैराराम जाति साटीया निवासी सांवरडा
3. गेनाराम पुत्र भैराराम जाति साटीया निवासी सांवरडा
4. केसाराम पुत्र भैराराम जाति साटीया निवासी सांवरडा
5. मदनराम पुत्र भैराराम जाति साटीया निवासी सांवरडा
6. भुरखाराम पुत्र भैराराम जाति साटीया निवासी सांवरडा
7. तेजाराम पुत्र भैराराम जाति साटीया निवासी सांवरडा
   तहसील समदडी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी
2. स...राम पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल
3. ग...राम पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल
4. डु...राम पुत्र लच्छाराम जाति मेघवाल
5. रा...राम पुत्र टीकमाराम जाति चौधरी
6. शे...राम पुत्र रूपाराम जाति चौधरी
7. ते...सिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत सभी निवासीगण समदडी

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128</u>
<u>राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित –

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 9/04/21

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी खतौनी संवत् 2072–75 ग्राम पंचायत मौजा राजस्व ग्राम ...ल सावंरडा तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 616 रकबा 37.16 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की मेंढ नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:28 IST
Reason: Self Attested

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सावंरडा पटवार मण्डल सांवरडा तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 616 रकबा 37–16 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार समदडी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार समदडी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.5.21 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाद/2021/4369 दिनांक : 09.04.2021

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

देवाराम वगैरा **राजस्थान सरकार वगैरा**

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......105/2020 दिनांक :– 09.04.2021

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में सावंरडा पटवार मण्डल सावंरडा तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 616 रकबा 37–16 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार. समदडी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींस रूपये 500/–प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)
दिनांक : 09.04.2021

क्रमांक: वाद/2021/4370
प्रतिलिपि

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी समदडी
3. हल्का पटवारी सांवरडा को मय रेकर्ड मौके पर रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. देवाराम पुत्र भैराराम जाति सांटीया निवासी सांवरडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)